

AMOGHVARTA

ISSN : 2583-3189



vijkekka dh fujlurj c<rh gā l ā; k , d fpūruh; l eL; k& ekerjh ftys
ds fo'k'sk l nHkz ea , d vē; ; u

ORIGINAL ARTICLE



Author

idrt tū

सहायक प्राध्यापक, विधि विभाग
बी.सी. एस. शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
धमतरी, छत्तीसगढ़, भारत

'kks/k l kj

orēku ifjiš; ea c<rh gā vijkek dh
l ā; k fuf'pr : i l s, d xākhj l eL; k ds : i
ea gekjs l keus gā vr% mā 'kkēk vē; ; u ea i pZ
ds dāN 'kkēks dk vē; ; u dj vijkekks ea deh
ykus gsrq dāN egRoīw kZ l pko çLrqr fd, x,
gā vijkek , d voēkkfud dk; ZgS tksfd nāmuh;
gS , oa {kE; ugh gā orēku ifjiš; ea pksjh]
cyok] næk] cykRdkj] ngst] vi gj .k] ekjihV]
ēkks[kkēkM# tS s fofHkUu vijkekka ds l kFk&l kFk
l kbcj vijkek Hkh , d xākhj l eL; k ds : i ea
gekjs l keus gā fuekZurk] çjkstxkjh] vf'k{kk]
dkuu 0; oLFkk ea yphyki u] vknru vijkek
tS s dkj .k vijkek gsrq mUkjnk; h gS ftuds
mik; gsrq yhxy dEi] ykxks ea tkx: drk]
f'k{kk dh mPp Lrj tS s fofHkUu mik; fd, tk
jgs gā cktin vijkek de gkus ds ctk;

fujlurj c<rs tk jgs gā vr% dkuu , oa l jdkjh ç; kl rHkh l Qy gks l drs gS tc ykx Lo; a
vijkek ds ifj .kkeka dks l e>dj vijkek djus l s cpā
eā; 'kCn

vijk/k] çjkstxkjh] ngst iFkkA

çLrkouk

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होने के कारण अपनी अनंत आवश्यकता की पूर्ति किसी भी साधन से करना चाहता है और इन्ही आवश्यकताओं की पूर्ति जब वह नहीं कर पाता तो यही स्थिति अपराध को जन्म देती है। वह अपनी इच्छा, आवश्यकता, जरूरत को पूर्ण करने हेतु अवैधानिक तरीकों एवं अवैधानिक साधनों का प्रयोग करता है जिसे अपराध कहा जाता है। निश्चित रूप से अपराध को हम एक आवश्यक बुराई या रोग कह सकते हैं जो पूरे समाज को प्रभावित करता है जिसके कारण अपराधी को दण्ड दिया जाता है और ऐसा कार्य क्षम्य नहीं होता। अपराध के अंतर्गत आने वाले सभी कार्य अवैधानिक होते हैं जिनसे जनसामान्य को क्षति होती है। वर्तमान परिपेक्ष्य में विभिन्न प्रकार के बढ़ते हुए अपराधों की संख्या निश्चित रूप से चिन्तनीय समस्या है जिसमें कमी लाना एक बहुत बड़ी चुनौती है।

'kkək mi dYi uk, a

उक्त विषय पर अध्ययन के पूर्व कुछ उपकल्पनाएं थी:

1. अपराध करने के पीछे वास्तविक कारण क्या है?
2. अपराध के निरन्तर बढ़ने के पीछे क्या कारण है?
3. अपराधों की संख्या में कमी लाने हेतु पुलिस की भूमिका क्या है?
4. अपराधों को रोकने में दंड की क्या भूमिका है?
5. अपराध करने के पीछे अपराधी की मनः स्थिति क्या रहती है?

'kkək mÍs ;

उक्त विषय पर अध्ययन करने के उद्देश्य इस प्रकार है:

1. अपराधों की निरन्तर बढ़ती हुई संख्या को रोकने हेतु पुलिस की भूमिका पर अध्ययन।
2. अपराध करने के पीछे अपराधी की मनः स्थिति एवं वास्तविक कारण का अध्ययन।
3. अपराधों में कमी लाने हेतु दंड की प्रासंगिकता तय करने।
4. अपराध की भयावह स्थिति को जनसामान्य को समझाने हेतु।
5. अपराध के बाद अपराधी के परिवार की स्थिति एवं मनोदशा के माध्यम से अपराध की भयावकता एवं परिणाम को जनसामान्य को समझाने के उद्देश्य से।

'kkək dk ʃI gkoyksdu

उक्त विषय पर पूर्व में किए गए कुछ शोधों का अध्ययन करने के पश्चात् कुछ नए बिन्दु पर प्रकाश डालने का प्रयास किया गया है।

'kkək ʃfofek

उक्त अध्ययन में द्वितीयक आंकड़ों को प्रस्तुत किया है द्वितीयक आंकड़ों में समाचार पत्र, जर्नल्स, इन्टरनेट सामाग्री, पुस्तकों, विधि पत्रिका आदि का प्रयोग किया गया है।

vi jkək dk vfk%साधारणतया अपराध से तात्पर्य उन कार्यों से होता है जिनके करने अथवा जिनके लोप करने से पूरे समाज को हानि होती है एवं वह कार्य देश के कानून में दण्डनीय हो। इस प्रकार अपराध में वे सभी कार्य आते हैं जो भारतीय दण्ड संहिता में दण्डनीय हो।

ʃyʃd LVku ds vuʃ kj% "ऐसा कोई कार्य करना अथवा करने से विरत रहना जिससे सामान्य विधि के किसी नियम का अतिक्रमण होता हो, अपराध कहलाता है।"

dsuh ds vuʃ kj% "अपराध उन अवैधानिक कार्यों को कहते हैं जिनके बदले में दण्ड दिया जाता है और वह क्षम्य नहीं होते, यदि क्षम्य होते भी हैं, तो राज्य के अतिरिक्त उन्हें अन्य किसी भी व्यक्ति को क्षमा प्रदान करने का अधिकार नहीं होता है।

उक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि अपराध के अंतर्गत आने वाले सभी कार्य अवैधानिक होते हैं जिनसे सामान्यजन को क्षति कारित होती है और बदले में अपराधियों को दण्ड दिया जाता है।

छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के सन् 2019 से 2022 तक विभिन्न अपराध के आंकड़े इस प्रकार हैं:

छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के सन् 2019 से 2022 तक विभिन्न अपराध के आंकड़े इस प्रकार हैं:

| अपराध | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------------|------|------|------|------|
| हत्या | 22 | 18 | 16 | 26 |
| चोरी | 96 | 148 | 174 | 217 |
| अपहरण | 41 | 44 | 49 | 50 |
| दुष्कर्म | 75 | 85 | 76 | 47 |
| धोखाधड़ी | 34 | 35 | 24 | 26 |
| दहेज मृत्यु | 04 | 02 | 03 | 06 |
| बलवा | 13 | 28 | 24 | 36 |

(स्रोत: दैनिक भास्कर, धमतरी, 31 दिसंबर 2022, पेज नंबर 15)

छ.ग. के धमतरी जिले में यदि पिछले चार वर्षों का अध्ययन करे तो स्पष्ट है कि हर वर्ष अपराधों की संख्या निरन्तर बढ़ती जा रही है। हत्या, अपहरण, चोरी, बलबा जैसे अपराधों की संख्या ग्राफ जिले में निरन्तर बढ़ा है। सन् 2021 में कुल केस 1893 थे जबकि 2022 में कुल 2045 अपराध दर्ज हुए हैं यानी साल भर में 6.47 प्रतिशत बढ़ोत्तरी हुई है। सड़क हादसों में 151 लोगो की मौत हुई, इसमें यद्यपि पिछले साल की तुलना में 9.03 प्रतिशत की कमी आई है। धमतरी जिले में 2021 में 331 दुर्घटना में 166 मृत हुए थे एवं 317 घायल हुए थे, जबकि 2022 में 336 लोग घायल हुए। 2022 में धमतरी जिले में ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने में पुलिस में 11438 वाहनों को पकड़ा जबकि 2021 में 12231 केस बना। यदि जिले में 05 साल का रिकार्ड देखे तो 1580 सड़क दुर्घटना में 1536 लोग घायल हुए जबकि 695 लोगों की मृत्यु भी हुई।

1- इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि "अपराधी को अभियोजित एवं दंडित किया जाना एक सामाजिक आवश्यकता है यह समाज के हित में नहीं है कि कोई अपराधी अपने दायित्व से बच निकले। 2- इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि "यद्यपि अघतन संविधान संविधियों का अपराध स्थल पर पहुंच पाना अत्यन्त कठिन है अर्थात् उसी संविधि के बनते ही प्रत्येक व्यक्ति को उसका तत्काल ज्ञान हो जाना असंभव है फिर भी कोई भी व्यक्ति इस के अज्ञानता के कारण दंड से बच नहीं सकता।"

3- इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दुराश्य अपराध का एक आवश्यक संघटक है।

4- न्यायालय ने निर्णय दिया कि कोई भी व्यक्ति तब तक दोषी नहीं है जब तक उसकी मन भी दोषी ना हो।

5- न्यायालय ने कहा कि तैयारी पूर्ण होने के बाद प्रयत्न आरंभ होता है और किसी कृत्य का किया जाना अपराध के लिए अगला कदम होता है।

वर्तमान परिपेक्ष्य में जिले, राज्य एवं पूरे देश में अपराधों की संख्या में निरन्तर वृद्धि होने के पीछे निम्नलिखित कारण दिए जा सकते हैं:

वर्तमान परिपेक्ष्य में जिले, राज्य एवं पूरे देश में अपराधों की संख्या में निरन्तर वृद्धि होने के पीछे निम्नलिखित कारण दिए जा सकते हैं:

1. अपराधों की बढ़ती संख्या के पीछे सबसे मुख्य कारण आर्थिक कारण है। रोजी-रोटी की समस्या, निर्धनता ये ऐसे कारण हैं जिनके कारण मजबूरी वश इंसान अपराध कर बैठता है।
2. देश की तेजी से बढ़ती जनसंख्या एवं रोजगार की कमी ऐसे कारण हैं जो निश्चित रूप से अपराध को जन्म देते हैं।

3. ekufi d fodkj% वर्तमान समय से मनुष्य तनाव भरे वातावरण,अत्यधिक चिंताएं, मनोवैज्ञानिक बीमारी, मानसिक तनाव, डिप्रेशन के कारण भी कई अपराधिक कार्य कर बैठता है।
4. e | i ku@u'ks dh çofùk% वर्तमान में बच्चे से बड़े तक में नशे की प्रवृत्ति एवं मद्यपान की आदत भी अपराधों में वृद्धि के प्रमुख कारण है।
5. yphyh dkuu 0; oLFkk% भारतीय न्याय प्रणाली में निरन्तर बढ़ते हुए केसों की संख्या एवं निर्णय में अत्यधिक विलंब होना, ये ऐसे कारण है जिनकी फायदा अपराधी उठाने की प्रयास करता है एवं झूठे साक्ष्य प्रस्तुत कर खुद को बचाने की कोशिश करता है।
6. l ks ky ehfM; k% वर्तमान में वाट्सअप, फेसबुक टिवटर, इस्टाग्राम इत्यादि विभिन्न सोशल मीडिया ने भी आनलाईन माध्यम से अपराधों को निरन्तर बढ़ाने हेतु काफी हद तक दोषी माने जा सकते हैं।
7. ncko r#% दोस्तों, परिवार इत्यादि का निरन्तर दबाव तंत्र भी अपराधों के बढ़ने के पीछे एक कारण है। गलत संगत, गलत लोगों के साथ रहकर भी व्यक्ति अपराधिक प्रवृत्तियों में लिप्त हो जाता है।
8. o\$ fäd dkj .k% इसे हम अपराधों का शारीरिक कारण भी कह सकते हैं, शारीरिक लक्षण जैसे आयु, लिंग, शरीर रचना, भौतिक वातावरण आदि का अपराधों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। 15 से 16 वर्ष की आयु में साधारण तथा 25 से 26 की आयु में गंभीर प्रकृति के अपराध देखने को मिलते हैं। यद्यपि अपराध कार्य करने में पुरुषों की तुलना में महिलाओं का प्रतिशत कम है।
9. i fjokfjd dkj .k% परिवारिक कारण जैसे परिवार में उपेक्षा सौतेला व्यवहार कठोर अनुशासन ,असुरक्षा परिजनों का असामान्य व्यवहार, परिवारिक कलह भी अपराध के पीछे प्रमुख कारण है।
10. l kekftd dkj .k% सामाजिक मान्यताओं, रीति रिवाज एवं प्रथाओं का भी व्यक्ति पर गहरा प्रभाव पड़ता है।
11. jktuf rd dkj .k% राजनीति का अपराधिकरण शासन एवं प्रशासन में पारदर्शिता का लुप्त होना भ्रष्टाचार, अनैतिक आचरण, राजनेताओं एवं नौकरशाही में विभिन्न प्रकार की विकृतियां पनपने, अपराधी प्रवृत्ति के लोगों का संरक्षण इत्यादि कारण भी अपराध हेतु सहायक है।
12. vl; dkj .k% अपराध अन्य कारणों में भौगोलिक विचारियिक कारणों को शामिल किया जा सकता है। साथ ही चारित्रिक कारण जैसे क्रोध, मद, मोह, ईर्ष्या, लोभ, निन्दा, प्रमाण आदि कारण भी अपराधों की संख्या बढ़ाते हैं।

vi j kèkka dks j kdus grq çedk mi k;

1. i w k z u'kk fu"kk% वास्तव में अपराध की संख्या में कमी लाना है तो पूर्णतया नशा निषेध एवं मद्यपान निषेध अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगा क्योंकि अधिकांश अपराध नशे की प्रवृत्ति से मद्यपान की स्थिति में घटित होते हैं।
2. jkstxkj ds l efpr vol j% बेरोजगारी अपराध के पीछे मुख्य कारण है अतः सरकार अधिक से अधिक लोगों को रोजगार देकर काफी हद तक अपराध में कमी ला सकती है।
3. vi j k f e k d d k u q k a d k ç p k j ç l k j% आज भी लोग विभिन्न अपराधों एवं अपराधिक कानूनों से अनाभिज्ञ हैं। अतः समय-समय पर ग्रामीण इलाकों एवं चौक-चौराहों में विभिन्न अपराधिक कानूनों की जानकारी एवं उनके दंड की जानकारी जनता को दी जानी चाहिए ताकि लोगों में जागरूकता आए एवं वे अपराध करने से बचे।
4. vi j k e k h d h e u k o k k f u d ç o f u k d k v e ; ; u% समाज को अपराध मुक्त रखने हेतु अपराध एवं अपराधी को मनोवैज्ञानिक परिस्थितियों को समझना जरूरी हैं। उनका अध्ययन कर व्यक्ति को अपराधी बनाने से रोका जा सकता है।
5. f' k { k k d k ç p k j ç l k j% अपराध के पीछे बहुत बड़ा कारण अशिक्षा है। अतः शिक्षा की स्तर ऊंचा उठाकर एवं जनसामान्य विशेष तौर पर ग्रामीण एवं पहाड़ी इलाकों में शिक्षा का स्तर उठाकर निश्चित रूप से अपराधों में कमी लाई जा सकती है।

6. दमक दकुम , oamM dk Hk; %अपराधिक कानून सख्त हो एवं अपराध करने वालों को दंड की भयावकता से परिचित कराकर अपराधों में कमी लाई जा सकती है।
7. Hk'Vkpj mYeyu% भ्रष्टाचार उन्मूलन हेतु विभिन्न उपाय करके भी काफी हद तक अपराधों से कमी लाई जा सकती है।
8. vkFkd dkj . kka dk dk funku% निर्धनता को दूर कर, आर्थिक कारणों का निदान कर भी काफी हद तक अपराधों में कमी लाई जा सकती है।
9. l pkkj d l l Fkk, % वर्तमान में अपराधियों के सुधार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अतः सुधारक संस्थाएं जैसे परिवीक्षा, पैरोल, बाल न्यायालय, नजरबंदी गृह आदि की भूमिका भी महत्वपूर्ण है।
10. l kbcj vi jkek jkdus grq fo'ksk ç; kl % वर्तमान परिपेक्ष्य में साइबर ठगों को अपराध को अंजाम देने की नई-नई तकनीक को रोकने हेतु उनसे भी एक कदम आगे की सोच जरूरी है ताकि साइबर अपराधों का रोका जा सके।
11. dkuu 0; oLFkk ea cnyko% देश की कानून व्यवस्था को सख्त बनाने से काफी हद तक अपराधिक घटनाओं को कम किया जा सकता है क्योंकि जब कानून जितना सख्त होगा तो लोगों में काफी हद तक भय रहेगा।
12. i fyl dh l fØ; Hkfedk% अपराध रोकने हेतु पुलिस प्रशासन की हर पल सक्रिय रहना नितांत आवश्यक है। पुलिस की सदैव सक्रियता यदि अपराध को पुरी तरह खत्म भले ही न कर पाए, लेकिन अपराधों को कमी लाने में सहायक सिद्ध होगी।

fu"d"kl

स्पष्ट है कि जिले, राज्य एवं पूरे देश में अपराधों की संख्या में निरन्तर वृद्धि होना एक चिन्तनीय समस्या बन चुकी है। यदि विगत वर्षों का अध्ययन करे तो स्पष्ट है कि अपराधों की संख्या में कमी होने के बजाय निरन्तर वृद्धि होती जा रही है। हत्या अपहरण, चोरी आनलाईन फ्राड, दहेज, बलात्कार, धोखाधड़ी, मारपीट बलवा, इत्यादि विभिन्न अपराध कम होने के बजाय निरन्तर बढ़ते जा रहे हैं। साइबर क्राइम अपराध भी निरन्तर बढ़ते जा रहे हैं। अपराध के कारणों पर आज भी अनुसंधान जारी है। बहुत से लोग अपराध के लिए व्यक्ति एवं परिस्थिति को जिम्मेदार मानते हैं, जबकि कुछ लोग अपराध हेतु व्यक्ति एवं समाज दोनों को जिम्मेदार मानते हैं। साइबर क्राइम को रोकना सबसे कठिन समस्या बन चुकी है। पुलिस तंत्र अपना कार्य कर रहे हैं, समाजसेवी संगठन भी अपना योगदान दे रहे हैं। कानून भी अपनी जगह है, दंड भी है। इसके बावजूद अपराध कम होने के बजाय निरन्तर बढ़ते जा रहे हैं। अतः अपराधों में कमी लाने हेतु सरकार एवं पुलिस की भूमिका तभी महत्वपूर्ण हो सकती है जबकि आम जनता इस दिशा में जागरूक हो एवं अन्य लोगों को भी जागरूक करे। वास्तव में अपराध में कमी लाने हेतु हर व्यक्ति को अपराध के परिणाम से परिचित होना बहुत जरूरी है ताकि लोग जान सकें कि अपराध करने के बाद उनके परिवार की स्थिति पर कितना प्रभाव पड़ सकता है। जब लोग स्वयं जागरूक होंगे तभी इस समस्या में कमी संभव है। किसी भी समाज के निरन्तर विकास हेतु समाज में शांति एवं सुरक्षा का वातावरण होना अत्यंत आवश्यक है। अतः समाज में शांति का वातावरण बनाये रखने हेतु उसे अपराध मुक्त कराना न केवल पुलिस एवं शासन प्रशासन की जिम्मेदारी है, वरन् आम जनता को भी इस दिशा में स्वयं भी जागरूक होना होगा साथ ही अपने मोहल्ले, गांव, परिवार, एवं शहर के लोगों को भी किसी भी तरह के अपराध से दूर रहने हेतु जागरूक करना होगा, तभी अपराधों की बढ़ती हुई संख्या में कमी लाई जा सकती है।

l nHkZ l iph

1. आई.आर 2001 एस.सी. 1820।
2. ए.आई आर. 1965 एस.सी. 722।

3. 1629 सी.सी. 529 ।
4. (1837) 8 सी. एण्ड.पी. 136 ।
5. बावेल बसन्तीलाल, (2005) *भारतीय दण्ड संहिता*, उन्नीसवां संस्करण 2005 ।
6. महाजन संजीव, (2017) *अपराध शास्त्र एवं दण्डशास्त्र*, प्रथम संस्करण 2017, ISBN 81-88775-85-1 ।
7. परांजपे ना. वि., (2017) *अपराध शास्त्र ,दण्ड प्रशासन एवं प्रपीडन शास्त्र अष्टम संस्करण पुनः मुद्रित (2017)* ISBN : 978-93-84961-08-4 ।
8. दैनिक भास्कर (2022, दिसंबर 31) धमतरी पृ. 15 ।

---=00=---